

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 132(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 224(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दि मेमोरियल फंड डिजास्टर रिलीफ इंडिया, भार्फत दिल्ली चेशियर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा सिविकम, हिमाचल

प्रदेश, सूरत और दिल्ली में विश्व स्मारक निधि टी0बी0 परियोजना के चार गतिशील दलों की स्कीम की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में चालीस लाख इकतालीस हजार छः सौ रुपये की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 297 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे बाद में दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 916 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 566 (अ0) द्वारा पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों “सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में विश्व स्मारक निधि टी0बी0 परियोजना के नौ गतिशील दलों के लिए नौ वाहनों की खरीद ” को शामिल करके परियोजना की शीर्षक में संशोधन किया गया और कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना की अनुमानित लागत को 40,41,600 रुपये से 338.19 लाख रुपये बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि मेमोरियल फंड डिसास्टर रिलीफ इंडिया, मार्फत दिल्ली चेशियर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली द्वारा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में विश्व स्मारक निधि टी0बी0 परियोजना के चार गतिशील दलों की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।